न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 62/2019

केसर देवी पत्नि श्री कन्हैयालाल रैगर जाति रैगर, निवासी सांगानेर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

ब्नाम

1. तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर जिलाजयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार सांगानेर, राजस्व कैम्प ग्राम गोनेर दिनांक 13.01.1983 जो नामान्तकरण संख्या 469 पर पारित किया गया दिनांक 13.01.1983

———————

उपस्थितः–

1. श्री एस.एल.वाडिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय दिनांकः 21.11.2019

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, सांगानेर के निर्णय दिनांक 13.01.1983 जिससे नामान्तरकरण संख्या 469 ग्राम गोनेर, तहसील सांगानेर अपीलांट के नाम गैर खातेदार से खातेदार का स्वीकार नहीं किया जाकर खारिज किया गया से असंतुष्ट होकर दिनांक 03.10.2017 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्ट जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान अपीलांट अधिवक्ता व पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सांगानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.01.1983 नामान्तकरण संख्या 469 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 209 रकबा 14 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 519, 528, 530 रकबा 3.06 हैक्टेयर बारानी तृतीय का दिनांक 31.05.1969 को आवंटन किया गया एवं कब्जा उक्त आवंटित भूमि का अपीलांट को संभलाया गया तथा आवंटन तिथि से आज दिनांक तक अपीलांट अपनी आवंटित भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है। उक्त आवंटित भूमि का नामान्तकरण संख्या 346 दिनांक 30.10.1970 को गैर खातेदारी अपीलांट के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उसके पश्चात दिनांक 13.01.1983 को गैर खातेदारी से खातेदारी में उक्त

आवंटित भूमि को दर्ज करने हेतु नामान्तकरण भरा गया लेकिन रेस्पाडेन्ट तहसीलदार सांगानेर द्वारा कैम्प में उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मौके पर अपीलांट काश्त नहीं करती है। जिसकी अपील माननीय न्यायालय में पेश की गयी है। उक्त भूमि आवंटन के विरूद्व जिला कलक्टर महोदय जयपुर के समक्ष सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) भूमि आवंटन नियम 1970 पेश किया जिसे न्यायालय जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिनांक 02.08.2010 को स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन को खारिज किया गया। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष पेश की गयी उक्त अपील को राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.08.2010 से स्वीकार कर माननीय जिला कलक्टर महोदय जयपुर का आदेश दिनांक 02.08.2010 निरस्त करते अपीलांट के आवंटन को बहाल रखने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश की अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें प्राईवेट पक्षकार भैरूबक्श तहसीलदार सांगानेर व जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अलग–अलग 3 अपीले प्रस्तुत की गयी जिसको माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 23. 04.2019 से तीनो अपीलो का निस्तारण कर के खारिज फरमा दी एवं राजस्व अपील अधिकारी जयपुर का निर्णय दिनांक 23.08.2010 बहाल रखा। अपीलांट आदिनांक तक मौके पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा उक्त भूमि पर एक कमरा व सिंचाई हेतु बोरिंग लगा रखा है एवं गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 469 पर तहसीलदार सांगानेर, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.01.1983 निरस्त किया जाकर विवादित भूमि हाल खसरा नंबर 519, 528, 530 ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर का गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान करे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण पटवारी व सर्किल गिरदावर की रिपोर्ट अनुसार आवंटी अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से नामान्तकरण तहसीलदार सांगानेर द्वारा खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार नामान्तकरण खारिज किया गया है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उपस्थित अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण के आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण संख्या 469 ग्राम गोनेर, तहसील सांगानेर के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट को भूमि आवंटन के 10 वर्ष पूर्ण होने पर नियमानुसार अपीलांट का गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर कैम्प में

प्रस्तुत किया जिसमें अपनी रिपोर्ट में आवंटी का कब्जा नहीं होने की रिपोर्ट पर तत्कालीन तहसीलदार सांगानेर द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने पर दिनांक 13.01.1983 को नामान्तकरण खारिज किया गया। अपीलांट का आवंटित भूमि पर कब्जे काश्त नहीं होने से खारिज किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के निर्णय दिनांक 02.08.2010 की अपील अपीलांट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष पेश की गयी उक्त अपील को राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.08.2010 से स्वीकार कर माननीय जिला कलक्टर महोदय जयपुर का आदेश दिनांक 02.08.2010 निरस्त करते अपीलांट के आवंटन को बहाल रखने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश की अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 23.04.2019 से अपील खारिज फरमा दी एवं राजस्व अपील अधिकारी जयपुर का निर्णय दिनांक 23.08.2010 बहाल रखा। प्रकरण में अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के आदेश दिनांक 02.08.2010 द्वारा खारिज किया गया जिसके आधार पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा आदेश दिनांक 17.08.2010 से अपीलांट को आवंटित भूमि का नामान्तकरण संख्या 618 द्वारा गैर खातेदारी से सिवाय चक स्वीकृत किया गया। दस्तावेज एवं जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के अवलोकन से जाहिर है कि वर्तमान में अपीलाधीन भूमि अपीलांट के नाम से गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलाधीन नामान्तकरण के पश्चात विवादित भूमि के संबंध में अन्य नामान्तकरण भी स्वीकृत किये जा चुके है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तकरण प्रभाव शून्य है जिसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। नामान्तकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें गैर खातेदारी से खातेदारी के अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2019.12.04 12:02:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: